


वर्ष 2020-21 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें
संशोधन पत्र

आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 15.6 के बाद नवीन बिन्दु संख्या 15.7 में निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

15.7 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020-21 के तहत निर्धारित विभिन्न शुल्क, फीस, बेसिक लाईसेन्स फीस आदि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वृद्धि/कमी की जा सकेगी। साथ ही नवीन फीस/शुल्क/बेसिक लाईसेन्स फीस आदि लागू की जा सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश/अधिसूचना/निर्देश/परिपत्र आदि मान्य होंगे।

देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 11.7 के बाद नवीन शर्त संख्या 11.8 में निम्नानुसार स्थापित की जाती है :-

11.8 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020-21 के तहत निर्धारित विभिन्न शुल्क, फीस, बेसिक लाईसेन्स फीस आदि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वृद्धि/कमी की जा सकेगी। साथ ही नवीन फीस/शुल्क/बेसिक लाईसेन्स फीस आदि लागू की जा सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश/अधिसूचना/निर्देश/परिपत्र आदि मान्य होंगे।


आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर


वर्ष 2020-21 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में भारत निर्मित विदेशी
मदिरा एवं बीयर की रिटेल आफ दुकानो के अनुज्ञापत्र आवेदन के संदर्भ
में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें
संशोधन पत्र

आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 16 को
निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

16. आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020-21 के तहत राज्य सरकार द्वारा
मदिरा दुकानों के संबंध निर्धारित विभिन्न शुल्क, फीस, बेसिक लाईसेन्स फीस
आदि में समय-समय पर वृद्धि/कमी की जा सकेगी। साथ ही नवीन
फीस/शुल्क/बेसिक लाईसेन्स फीस आदि लागू की जा सकेगी। इस संबंध में
समय-समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/निर्देश/परिपत्र आदि मान्य होंगे।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की रिटेल आफ दुकानो के
अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

10. आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020-21 के तहत राज्य सरकार द्वारा
मदिरा दुकानों के संबंध निर्धारित विभिन्न शुल्क, फीस, बेसिक लाईसेन्स फीस
आदि में समय-समय पर वृद्धि/कमी की जा सकेगी। साथ ही नवीन
फीस/शुल्क/बेसिक लाईसेन्स फीस आदि लागू की जा सकेगी। इस संबंध में
समय-समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/निर्देश/परिपत्र आदि मान्य होंगे।


आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर